विवरण 27

बजटेतर संसाधनों का विवरण (सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स एवं एनएसएसएफ ऋण)

(₹ करोड़)

भाग-क—सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए बांड्स जारी करके ईवीआर जुटाए गए:

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 ब.अ.	2019-20 सं.अ.	2020-21 ब.अ.
42	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**						
	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	—	—	—	5000.00	2700.00	3000.00
57	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**						
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी	—	—	20000.00	20000.00	10000.00	10000.00
59	**उच्चतर शिक्षा विभाग**						
	उच्चतर शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरुद्धार (आरआईएसई)	—	—	—	5000.00	1000.00	3000.00
61	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**						
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	—	—	1400.00	—	1850.00	
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (एआईबीपी एवं अन्य परियोजनाएं)	2187.00	3105.00	5493.40	4882.00	3033.96	5000.00
62	**पेयजल और स्वच्छता विभाग**						
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	—	—	8698.20	5000.00	5000.00	—
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	—	—	—	6300.00	2000.00	12000.00
70	**नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**						
	(i) ग्रिड इन्टरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत, ऑफ ग्रिड/संवितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा	1640.00	—	—	—	—	—
	(ii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	—	—	—	822.00	500.00	1000.00
77	**विद्युत मंत्रालय**						
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	5000.00	4000.00	13827.00	9000.00	8500.00	5500.00
	(ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	—		5504.70	—	—	—
85	**ग्रामीण विकास विभाग**						
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	—	7330.00	10678.80	—	10000.00	10000.00
90	**पोत परिवहन मंत्रालय**						
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) परियोजनाएं	340.00	660.00	—	1000.00	—	—
	सकल जोड़	***9167.00***	***15095.00***	***65602.10****	***57004.00***	***44583.96***	***49500.00***

*31 मार्च, 2019 तक के वास्तविक से मिलान किया गया।

विवरण 27

भाग-ख—एनएसएसएफ से प्राप्त ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई:

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 ब.अ.	2020-21 सं.अ.
1	**खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग**					
	भारतीय खाद्य निगम	70000.00	65000.00	97000.00	110000.00	136600.00
2	**आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय**					
	भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	—	8000.00	—	15000.00	—
	उर्वरक विभाग					
	(i) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.	—	—	—	1805.00	—
	(ii) धातु एवं खनिज पदार्थ व्यापार निगम	—	—	—	1310.00	—
	जोड़	**70000.00**	**73000.00**	**97000.00**	**128115.00**	**136600.00**
	सकल जोड़ (क + ख)	**79167.00**	**88095.00**	**162602.10**	**172698.96**	**186100.00**

टिप्पणियां:

(i) सं.अ. 2019-20 तथा ब.अ. 2020-21 में दर्शाए गए अनुसार एनएसएसएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता का अनुमान इन तीन वर्षों के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रस्तावित निधियों की कुल आवश्यकता (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में देय एनएसएसएफ ऋण की चुकौतियां सहित), और सं.अ. 2019-20 तथा ब.अ. 2020-21 में किए गए बजटीय प्रावधान के बीच अंतर के आधार पर लगाया गया है।

(ii) **सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालना:** सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अपनी विनियामक पूंजी, वर्धित पूंजी और त्वरित निवारक कार्रवाई (पीसीए) को वांछनीय स्तरों पर बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए पुनः पूंजीकरण हेतु वर्ष 2017-18 में ₹ 80,000 करोड़ और वर्ष 2018-19 में ₹ 1,06,000 करोड़ की सीमा तक पूंजी डाली गई थी। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2019-20 में ₹ 70,000 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल, एक नियत कूपन वाली भारत सरकार की विशेष प्रतिभुतियों के निर्गमन के जरिए पूंजी प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में अभी तक सरकार की नई पूंजी के रूप में ₹ 64,612 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

(iii) वार्षिक परियोजनाओं के संबंध में देयता का विवरण प्रा.ब. 2020-21 के भाग-ख में दिया गया है।